फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री कंकुबाई गुर्जर** विपक्षी :– अमरा डांगी

किस्म मुकदमा :–**विविध आ.9नि.4 जा.दी.** पत्रावली संख्या :–**10/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :–**2025/46**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। जहॉ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थीगण का कथन है कि प्रकरण में 17.02.2025 की पेशी वास्ते जवाब एवं तलबी में नियत थी। लेकिन उक्त दिनांक की जानकारी अधिवक्ता द्वारा नही दिए जाने एवं प्रार्थीया घरेलु कृषि कार्यो में व्यस्त हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सकी तथा अधिवक्ता भी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थिति नही दे सके। मुझ प्रार्थीया द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर मामले के बारे में जानकारी प्राप्त की तो मेरे अधिवक्ता ने जानकारी कर बताया की उक्त प्रकरण दिनांक 17.02.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। उसके पश्चात मुझ प्रार्थीया को जानकारी होते हुए नकले प्राप्त कर तत्काल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। विपक्षीगण का कथन है कि प्रार्थीया को पेशी दिनांक की जानकारी थी। प्रार्थीया केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से न्यायालय में उपस्थित नही हुई। प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तो विपक्षीगण को मानसीक एवं आर्थिक हानी होगी। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया को अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। न्यायालय का मानना है कि इसी प्रकरण के साथ एक प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का है जिसके हक अधिकार तय होने है। ऐसे में प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर नम्बर नही लिया जाना उचित नही है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जिससे की किसी पक्षकार को क्षति नही हो। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी [illegible] को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपी[illegible]ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:28 IST
Reason: SelfAttested

5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

मूल पत्रावली संख्या 16/22 वाद उनवान कंकुबाई बनाम अमरा वगैरह का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 17.02.2025 को वादीया मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसके साथ प्रार्थीया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। मूल प्रकरण के साथ इस अस्थाई निषेधाज्ञा के पार्थना पत्र को भी केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है। हम प्रार्थीया द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जा चुका है ऐसे में इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को भी पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 10/22 वाद उनवान कंकु बनाम अमरा में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते है। उभय पक्षकारान मूल वाद में दिनांक 18.06.2026 को उपस्थित रहे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:28 IST
Reason: SelfAttested